"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2003—फाल्गुन 1, शक 1924

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2003

आदेश

क्रमांक एफ 4-3/2002/गृह-सी.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किया जाने का प्रतिबंध किया जाये.

अतएव मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किए जाने की तारीख 20 फरवरी 2003 से प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

"राज्य के माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित सभी कार्यों के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति (पर्सनल)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 फरवरी 2003

क्रमांक एफ 4-3/2002/गृह-सी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के आदेश क्र. एफ 4-3/2002/गृह-सी दिनांक 18-2-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चंद्र मिश्र, उप-सचिव.

Raipur, the 18th February 2003

ORDER

No. F-4-3/2002/Home-C.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential service specified in the schedule below.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Seva Sandharan tatha Vichchhinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979), the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential service specified in the Schedule with effect from 20th February, 2003.

SCHEDULE

"Personnel appointed for all the work relating to the Examination of the Board of Secondary Education in the State".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BRAJESH CHANDRA MISHRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.